न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी – सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 107 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 308**

दायर दिनांक :– 20.06.2024 **निर्णय दिनांक :– 23.07.2025**

1. जेताराम पुत्र गोपाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. छोटी पत्नी रामलाल जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. मुन्नीराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. सलेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति विश्नोई निवासी चोहीलावाली तह. व जिला गंगानगर
4. सहदेव पुत्र बृजलाल जाति विश्नोई निवासी चोहीलावाली तह. व जिला गंगानगर
5. राकेश कुमार पुत्र रिछपाल जाति विश्नोई निवासी चोहीलावाली तह. व जिला गंगानगर
6. राजेश कुमार पुत्र रिछपाल जाति विश्नोई निवासी चोहीलावाली तह. व जिला गंगानगर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :–1. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 4
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:निर्णय:–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा हनुमानसागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 696 / 2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 696 / 20 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 696 / 22 रकबा 6.1674 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 696 / 12 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि ग्राम हनुमानसागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 696 / 2 व 696 / 20 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 696 / 22 व 696 / 12 की भूमि में से रास्ता के रूप में आवागमन हेतु उपयोग में ली

23/7/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थीगण की भूमि से लगती डामर सड़क जो मौके पर ग्राम हनुमानसागर तक जाती है जिस सड़क मार्ग तक पहुंच हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 6 की ओर से कोई उपस्ति नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 696/2 व 696/20 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 696/18, 696/4, 696/5 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 696/18 व 696/4 के निकटतम खसरा नम्बर 696/5 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 696/18, 696/4, 696/5 में से रास्ता दिया जाता है तो 3473 वर्ग मीटर यानि 0.3473 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, जवाब प्रार्थना–पत्र, तहसीलदार घंटियाली की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुमानसागर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नंबर 696/5 में 1170 वर्ग मी., 696/4

23/7/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

में 1570 वर्ग.मी., 696/18 में 786 वर्ग.मी. कुल 3473 वर्ग.मीटर यानि 0.3473 हैक्टेयर भूमि मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार घंटियाली द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै. मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। प्रतिकर की राशि का भुगतान संबंधित खातेदार को किया जावे। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, बाप, जिला फलोदी (राज.)

23/7/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)